न्यायालय विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़।

परिवाद संख्या 1030/2019

उपस्थितः– 1. श्री बलिराम सिंह चौहान (प्रभारी अध्यक्ष/सदस्य तकनीकी)

2. श्री रवि अग्रवाल (सदस्य अनुज्ञप्तिधारी)

श्री हरीलाल मौर्या पुत्र श्री चतुरी प्रसाद, निवासी–खानपुर फतेह, पोस्ट–अतरौलिया, जनपद–आजमगढ़।..**परिवादी**

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड–(षष्ठम), कप्तानगंज, आजमगढ़।..................**विपक्षी**

परिवादी की ओर से............................स्वयं (श्री हरीलाल मौर्या पुत्र श्री चतुरी प्रसाद)

विपक्षी की ओर से...............................विपक्षी

(दिनाँकः आजमगढ, 03 फरवरी, 2021)

–ःनिर्णयः–

संक्षेप में परिवादी के परिवाद पत्र दिनाँकित 24/12/2019 के अनुसार व्यथा का संक्षिप्त कथन है कि उसने विपक्षी के कार्यालय से आवासीय कनेक्शन संख्या 751722151613 लिया है तथा विद्युत बिलों की अदायगी नियमित रूप से करता हैं। उसका कथन है कि कृषि कार्य करके अपने परिवार का जीविकापार्जन करता है परन्तु कुछ महीने से परिवादी कृषि कार्य को करने में असमर्थ है इसलिए परिवादी के पुत्र ने परिवादी को बीज भण्डार की एक छोटी सी दुकान खुलवा दी जो उसके परिसर में स्थित है। उसका कथन हैं कि दुकान उसके घर में होने के नाते घरेलू कनेक्शन से ही दुकान में एक एल0ई0डी0 बल्ब व एक पंखा चलता है। उसका कथन हैं कि विपक्षी के द्वारा दिनाँक 06.

12.2019 को बिना कोई सूचना दिये परिवादी के आवासीय कनेक्शन को कामर्शियल कर दिया गया जिससे परिवादी गरीब किसान होने के नाते विद्युत बिलों का भुगतान करने में असमर्थ हो गया इसलिए विपक्षी से परिवादी के घरेलू कनेक्शन को कामर्शियल न करने हेतु आदेशित किया जाए जिससे परिवादी अपने बिल का भुगतान कर सकें।

इस संबंध में विपक्षी को नोटिस जारी हुआ। इस संबंध में विपक्षी को पर्याप्त सनुवाई का अवसर देने के पश्चात् भी कोई लिखित कथन अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया।

हमने पक्षकारों को सुना एवं अभिलेखों का अवलोकन किया।

आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता हैं कि परिवादी के उक्त कनेक्शन की बिलिंग 1 किलोवाट घरेलू के लिए निर्धारित विद्युत प्रकार में करते हुए संशोधित बिल परिवादी को उपलब्ध कराकर परिवादी से विद्युत राजस्व का भुगतान प्राप्त करें। अनुपालन आख्या 15 दिन के भीतर इस आयोग/फोरम को अवगत कराया जाए।

3/2/2021

(बलिराम सिंह चौहान)
प्रभारी अध्यक्ष

(रवि अग्रवाल)
सदस्य अनुज्ञप्तिधारी